विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 'मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ' पर लेखापरीक्षा एवं राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियाँ एवं भू–राजस्व प्राप्तियों पर 19 कण्डिकाएँ सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में कुल ₹ 300.81 करोड़ की वित्तीय विवेचना की गई है। शासन/विभागों ने ₹ 90.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 4.85 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

1 सामान्य

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,23,306.79 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2017–18 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,34,875.41 करोड़ रहीं। राज्य सरकार का स्वयं का राजस्व ₹ 53,872.05 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 39.94 प्रतिशत), भारत सरकार से प्राप्त प्राप्तियों का अंश ₹ 81,003.36 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 60.06 प्रतिशत) है।

(कंडिका 1.2.1)

लेखापरीक्षा में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य व्यापक भिन्नता पाई गई। वित्त विभाग ने यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि प्रशासनिक विभाग के दृष्टिकोण की आवश्यक जाँच या वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर विचार करने के बाद तैयार किये गये।

(कंडिका 1.2.3)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा विद्युत कर एवं शुल्क के 31 मार्च 2018 को बकाया राजस्व ₹ 6,057.26 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 2,553.81 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

विभागों में बकाया राजस्व वसूली या उसके संग्रहण पर निगरानी रखने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। विभागों के पास लंबित बकाया का शीर्ष स्तर पर कोई डेटाबेस नहीं है। प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी माँगे जाने पर विभागों द्वारा क्षेत्रीय इकाईयों से बकाया प्रकरणों व राशि के आँकड़े एकत्रित कर संकलित किए जाते हैं।

(कंडिका 1.3)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 5,477 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 25,030 कंडिकाएं, जिनमें राशि ₹ 23,884.71 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2018 के अन्त तक लम्बित थीं।

(कंडिका 1.5)

वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू–राजस्व, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस एवं खनन प्राप्तियाँ की कुल 980 में से 287 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 77,886 प्रकरणों में ₹ 1,542.04 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2017–18 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 7,840 प्रकरणों में अंतर्निहित राशि ₹ 459.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 199 प्रकरणों में ₹ 42 लाख की वसूली की।

(कंडिका 1.7)

2 राज्य उत्पाद शुल्क

सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.), इंदौर के पन्द्रह अनुज्ञप्तिधारियों ने विभाग को प्रस्तुत 1,061 चालानों, जो कोषालय के अभिलेखों से मिलान नहीं किये गये थे, में छेड़छाड़ कर, ₹ 37.42 करोड़ की जगह कोषालय में ₹ 1.20 करोड़ जमा किये। विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण की वजह से विभाग को ₹ 36.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसी प्रकार के कमजोर आंतरिक नियंत्रण के समान मुद्दे जैसे निगरानी में कमी, आंतरिक लेखा परीक्षा नही किया जाना, विभाग एवं कोषालय के प्राप्तियों में मिलान का न होना, दूसरे स.आ.आ के पाँच कार्यालयों में पाये गये, जो एक सशक्त धोखाधड़ी की संभावना को व्यक्त करते है।

(कंडिका 2.7)

3 वाणिज्यिक कर

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने एवं पूर्व की लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों (दिसम्बर 2015) का अनुपालन करने में वाणिज्यिक कर विभाग विफल रहा।

(कंडिका 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर योग्य टर्नओवर का ₹ 37.83 करोड़ कम निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 2.91 करोड़ का कर एवं ₹ 3.25 करोड़ शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने मान्य किये जाने योग्य राशि ₹ 45.17 करोड़ के आगत कर छूट के स्थान पर ₹ 48.07 करोड़ का आगत कर छूट मान्य किया जिसके परिणामस्वरूप 70 निर्धारित प्रकरणों में ₹ 2.20 करोड़ शास्ति सहित ₹ 5.10 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 3.7)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उनके स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर पर मशीनरी, स्टोंस, मोटर कार आटो के पुर्जे, सीमेंट, लोहा एवं इस्पात, तेल, शस्त्र एवं गोलाबारूद, सोयाबीन, एच.डी.पी.ई. सिले बैग, कोयला इत्यादि पर प्रवेश कर नही लगाया अथवा गलत दर से लगाया। इसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर राशि ₹ 1.94 करोड़ प्राप्त नही हुआ एवं ₹ 2.52 करोड़ की शास्ति अनारोपित रही।

(कंडिका 3.8)

कर निर्धारण प्राधिकारी, सामाग्रियों को सही वर्गीकृत करने एवं सही करों की दरें लगाने में मध्य प्रदेश मूल्य संर्वधन कर अधिनियम (म.प्र.वा.क.अ.) के प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय परिपत्रों को लागू करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.32 करोड़ का कर एवं ₹ 1.73 करोड़ शास्ति का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.9)

कर निर्धारण प्राधिकारी, सही कर आरोपण करने में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.43 करोड़ कर की कम प्राप्ति एवं ₹ 26.30 लाख शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.10)

4 खनन प्राप्तियाँ

"मध्य प्रदेश में मुख्य खनिजों से खनन प्राप्तियाँ" पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा उचित निरीक्षण में कमी के कारण अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली की अप्रर्याप्त निगरानी हुई। परिणामस्वरूप, प्रक्रियात्मक कमियाँ एवं अधिनियम एवं नियमों की प्रावधानों का पालन न होना, जैसे मुद्दों की खोजबीन नही हो पाई।

(कंडिका 4.5.6.2)

विभाग/शासन की ओर से शिथिल/अर्कायशील खदानों के प्रकरणों की निगरानी में विफलता के कारण राजस्व में अवरोध पैदा हुआ। अगर ये खनिज पट्टे दूसरे इच्छुक निविदकर्त्ताओं को पुर्नआवंटन किये गये होते तो शासन को रॉयल्टी, अनिवार्य किराया, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व अर्जित हुआ होता।

(कंडिका 4.5.7)

खतौनी जो खनिजों के उत्पादन एवं निस्तारण को जाँचने, पट्टेदारों से रॉयल्टी देय, भुगतान एवं बकाया रॉयल्टी को सही रूप से आकलित करने को संभव बनाती है, के रख–रखाव में ढील एक गंभीर खतरे को सूचित करता है।

(कंडिका 4.5.8)

विभाग निर्धारण को सही समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण पट्टेदारों द्वारा खनिजों के सही उत्खनन/प्रेषण एवं देय/भुगतान की गयी रॉयल्टी की जाँच करने की स्थिति में नहीं था। परिणामस्वरूप, राजस्व का रिसाव, यदि कोई हो, को रोका अथवा निर्धारित नहीं किया जा सका।

(कंडिका 4.5.9)

विभाग अवैध उत्खनन के खनन निगरानी प्रणाली (एम.एस.एस.) के प्रकरणों को खोजबीन करने मे विफल रहा जिससे इस प्रणाली के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके एवं विभाग राज्य में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन में वृद्धि को रोकने की एक प्रणाली विकसित करने में भी विफल रहा।

(कंडिका 4.5.10)

जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण को लेखाओं से दर्शित कोयले के विक्रय का निर्धारण करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, रॉयल्टी के रूप में ₹ 161.80 करोड का कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.5.11)

जिला खनिज अधिकारी शिथिल खादानों के 109 प्रकरणों में ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर ₹ 5.28 करोड़ के आरोपण में विफल रहें।

(कंडिका 4.5.16)

अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

चौदह शिथिल खदानों के खनन पट्टेदारों द्वारा ग्रामीण बुनियादी संरचना और सड़क विकास कर ₹ 1.08 करोड़ का भुगतान नही किया। इसके अतिरिक्त शास्ति ₹ 3.25 करोड का आरोपण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप, शास्ति सहित ₹ 4.33 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.6)

जिला खनिज अधिकारियों द्वारा छः व्यापारिक खादानों से वसूल योग्य ठेका राशि ₹ 3.22 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.95 करोड़ वसूली हुई। परिणामस्वरूप, ठेका राशि ₹ 2.27 करोड़ की अप्राप्ति/कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.7)

157 उत्खनन पट्टों एवं तीन खनि पट्टों में अनिवार्य किराया ₹ 1.51 करोड़ की वसूली करने में जिला अधिकारी विफल रहें।

(कंडिका 4.8)

जिला खनिज अधिकारी 13 पट्टों की समयसीमा में वृद्धि के कारण विभाग के साथ पूरक विलेख निष्पादित कराने एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग में पंजीकृत करने में विफल रहें। जबकि, सबंधित जिला अधिकारियों ने पट्टों की समयावधि में वृद्धि स्वीकृत की थी। परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस राशि ₹ 1.01 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 4.9)

नौ खनिज पट्टेदारों ने खनिज पट्टों पर भुगतान योग्य रॉयल्टी ₹ 2.04 करोड के विरूद्ध ₹ 1.12 करोड़ खनिजों के उपभोग/प्रेषण पर रॉयल्टी का भुगतान किया। परिणामस्वरूप, ₹ 92.63 लाख रॉयल्टी की अप्राप्ति/कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.10)

जिला खनिज अधिकारी, 72 पट्टेदारों से ठेका राशि/अनिवार्य किराया के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, राजस्व ₹ 64 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 4.11)

5 मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस

जिला पंजीयक (जि.पं.) सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए 11 उप पंजीयकों (उ.पं.) द्वारा संदर्भित ₹ 3.33 करोड़ के राजस्व से संबंधित 328 प्रकरणों के निराकरण तीन महीने की निर्धारित अवधि में करने में विफल रहें।

(कंडिका 5.6)

जिला खनिज अधिकारियों एवं संबधित पट्टेदारों के बीच निष्पादित खनिज विलेखों के पंजीयन के समय उप पंजीयक 15 खनिज पट्टों के लिये मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस ₹ 2.55 करोड़ का आरोपण करने में विफल रहें।

(कंडिका 5.7)

उप पंजीयक तीन पट्टा विलेखों के पंजीयन के लिये सही भुगतान होने वाली राशि का निर्धारण करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के रूप में ₹ 35.83 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.8)

6 भू–राजस्व

जिला अधिकारी एवं तहसीलदार भू–भाटक एवं प्रीमियम की सही दर का आरोपण करने में विफल रहें एवं जानबूझकर चूक करने वालों पर शास्ति का आरोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप, वर्ष 2009–17 के दौरान भू–भाटक ₹ 19.25 लाख, प्रीमियम ₹ 59.30 लाख एवं शास्ति ₹ 38.06 लाख की कम प्राप्ति हुई। शासन को कुल राजस्व हानि ₹ 1.17 करोड़ हुई।

(कंडिका 6.6)

तहसीलदार अप्राधिकृत कब्जे एवं शासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जा या दखल की जाँच के अधिनियम के प्रावधानों को लागू न कर पाने के कारण, 962 प्रकरणों में ₹ 84.06 लाख की शास्ति की वसूली करने में विफल रहें।

(कंडिका 6.7)

7 वाहन कर

3,270 वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि का वाहन कर या तो कम जमा किया या जमा नहीं किया। परिवहन प्राधिकारियों ने वसूली योग्य राशि के माँग पत्र नहीं जारी किए तथा कर न जमा करने के लिए मोटर वाहनों को जब्त एवं निरूद्ध करने की कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, कर की लंबित राशि ₹ 11.21 करोड़ का कर एवं कर की भुगतान न की गई राशि पर ₹ 4.38 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 7.6)

क.प्रा. द्वारा कर की सही दर लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप निजी व्यक्तियों से ₹ 1.46 करोड़ वाहन कर एवं ₹ 1.07 करोड़ शास्ति की कम प्राप्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 7.7)

अधिकांश लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रवृत्ति की हैं, कि समान त्रुटियाँ/चूक राज्य के सबंधित शासकीय विभागों की अन्य इकाईयों में भी पायी जा सकती हैं, परन्तु जिन्हें वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नहीं किया गया। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों की आंतरिक जाँच यह सुनिश्चित करने के लिये कर सकते हैं कि वे नियमों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।